राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

email:pd.rghs@rajasthan.gov.in Ph. No. 0141-2740252

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/ 4112 Date: 5/1/23

आरजीएचएस अनुमोदित निजी चिकित्सालय,
समस्त (राज्य के भीतर एवं बाहर)।

विषयः– आरजीएचएस के अन्तर्गत अनुमोदित स्पेशलिटी के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) से संबद्ध समस्त निजी चिकित्सालय जिनके द्वारा नकदविहीन चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है, को निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सालय जिन स्पेशलिटी के अन्तर्गत RGHS से अनुमोदित है, उन सभी Specialities का विवरण एवं उनकी आरजीएचएस में अनुमोदन की अवधि का स्पष्ट रूप से चिकित्सालय परिसर/स्वागत कक्ष (Reception)/OPD & IPD काउंटर पर चस्पा/प्रदर्शित करावें ताकि आरजीएचएस लाभार्थी को उपचार प्राप्त करने में सुलभता रहे एवं पारदर्शिता बनी रहें। जिसका प्रारूप निम्न प्रकार हो :–

अस्पताल का नाम –		
RGHS में अनुमोदन की अवधि		DD.MM.YYYY से DD.MM.YYYY तक
SN	**Speciality का नाम**	**उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सकों के नाम**
1	General Medicine	....
2	General Surgery	....
3	Obstetrics and Gynaceology	....
4	Paediatric Medicine	....
5	Pediatric and Neonatal ICU support	....
6	(Any Other Specialiy as per HBEC Form of Concerned Hospital)	....

समय–समय पर आरजीएचएस द्वारा चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान यदि उक्त सूचना चस्पा नहीं पायी जाती है तो निर्देशों की अवहेलना मानी जावेगी। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सालय केवल उन ही स्पेशलिटी के अन्तर्गत नकदविहीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावें जिन स्पेशलिटी के लिए वे RGHS से अनुमोदित है। यदि चिकित्सालय द्वारा नियमों के विरूद्व RGHS के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है तो उनके विरूद्व कार्यवाही अमल में लायी जावेंगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के आदेश एफ. 6(2)एफडी/रूल्स/2020 पार्ट 2, दिनांक 07.12.2022 (Policy for empanelment of private hospitals, diagnostic centres/ imaging centres under Rajasthan Government Health Scheme.) के अनुरूप ही Renewal एवं Addition of any other speciality की प्रक्रिया अपनायी जावें।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक, आरजीएचएस

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/ 4113-16 Date: 5/1/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय आरजीएचएस समिति।
4. रक्षित पत्रावली।

सुरे.

(सुरेश कुमार मीणा)
संयु0 परि0 निदेशक, आरजीएचएस